भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3672

उत्तर देने की तारीख 20दिसंबर, 2021

सोमवार, 29अग्रहायण,1943 (शक)

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कौशल विकास

3672 श्री कुनार हेम्ब्रम:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या सरकार ने देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, युवाओं के कौशल विकास के लिए कोई योजना शुरू की है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान युवाओं को देश की विकास प्रक्रिया में आगे लाया जा सके;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग)क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) जी हाँ।

(ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में युवाओं के कौशल विकास के लिए निम्नलिखित कौशल विकास स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है:

क्र.सं.	स्कीम	उद्देश्य
1	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत भर में उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेवीवाई के दो प्रशिक्षण घटक हैं, नामत: अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल)। पश्चिम बंगाल में, इस योजना के तहत अब तक, 562490 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
2	जन शिक्षण संस्थान(जेएसएस)स्कीम	इस स्कीम का उद्देश्य निरक्षर, नव-साक्षर, 8वीं तक प्राथमिक स्तर की शिक्षा वाले व्यक्तियों और 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा तक स्कूल बीच में छोड़ने वालों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। प्राथमिकता समूह में महिलाएं, अ.जा., अ.ज.जा., अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन और समाज के अन्य

		पिछड़े वर्ग हैं। जन शिक्षण संस्थान न्यूनतम बुनियादी ढांचे और संसाधनों के साथ लाभार्थियों के निकट तक कार्य करते हैं। इस स्कीम के तहत कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थानों (एनजीओ) को अनुदान जारी किया जाता है। **2018-19 से अब तक पश्चिम बंगाल में इस स्कीम के तहत 34529 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।**
3	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन स्कीम (एनएपीएस)	यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुता अधिनियम, 1961के तहत शिक्षुता कार्यक्रम शुरू करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं के नियोजन को बढ़ाने के लिए है। **पश्चिम बंगाल में 2015-16 से अब तक 24586 उम्मीदवारों को इस स्कीम के तहत प्रशिक्षित किया गया है।**
4	शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस)	यह स्कीम देश भर में 14,711औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से 143ट्रेडों में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। **2016 से 2020 तक, पश्चिम बंगाल में इस स्कीम के तहत 1,32,407 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है।**

ऊपर उल्लिखित स्कीमें देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए कार्यान्वित की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है, लेकिन जेएसएस ग्रामीण क्षेत्रों में गहन रूप से काम कर रहे हैं और जेएसएस के माध्यम से कुशल लोगों में से 50.5प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जिनमें से 79प्रतिशत महिलाएं हैं। यह स्कीम ग्रामीण महिलाओं को अपने कौशल को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर अधिक आजीविका अर्जित करने में मदद कर रही है।

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए ऊपर उल्लिखित स्कीमों के तहत कोई विशिष्ट नीति नहीं है। ये स्कीमें सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में लोगों को विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने के लिए कुछ स्कीमें हैं। उदाहरण के लिए, युवा कार्य और खेल मंत्रालय 200 सीमावर्ती/आदिवासी/पिछड़े जिलों (एसयूटीपी) में महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय युवाओं के बीच कौशल विकास, रोजगार क्षमता और दक्षता बढ़ाने और स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता (सीबीटीए) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बीएडीपी का कार्यान्वयन कर रहा है। बीएडीपी के दिशा-निर्देशों में युवाओं को स्वरोजगार और कारीगरों, बुनकरों आदि के कौशल उन्नयन के लिए व्यावसायिक अध्ययन और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम की स्कीम को शामिल करने का प्रावधान है।

****